भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5419

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

राजस्थान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

5419. श्री राजकुमार रोत:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वित्तीय और कौशल सहायता के लिए पात्र पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का ब्यौरा क्या है तथा व्यवसाय स्थापना के लिए प्रदान किए गए ऋण पर लागू ब्याज दर क्या है;

(ख) राजस्थान में उन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का जिला/श्रेणी और वर्षवार ब्यौरा क्या है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत वित्तीय और कौशल सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अन्य श्रेणियों की तरह पांच प्रतिशत ब्याज देना होता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनकी वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना उक्त योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत, सभी सफलतापूर्वक पंजीकृत लाभार्थी कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। आधारभूत कौशल को पूर्ण करने के उपरांत, लाभार्थी 5% की रियारती निश्चित ब्याज दर पर कोलेटरल-मुक्त उद्यम विकास ऋणों के लिए पात्र हैं। लाभार्थी 1,00,000 रुपए तक की पहली ऋण किश्त का लाभ उठा सकते हैं तथा पहली किश्त के पुनर्भुगतान के बाद 2,00,000 रुपए तक की दूसरी किश्त का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार 8% का ब्याज छूट में योगदान देती है। सभी ऋण कवरेज, पोर्टफोलियो आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सुरक्षित हैं।

(ख) : दिनांक 17.09.2023 को स्कीम की शुरुआत से अब तक, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत राजस्थान में वे लाभार्थी जिन्हें वित्तीय सहायता तथा आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिला-वार विवरण, का **अनुबंध** पर दिया गया है। लाभार्थियों का श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	पूर्ण के गए आधारभूत प्रशिक्षण	संस्वीकृत ऋण की संख्या
सामान्य	13,913	2,677
अन्य पिछड़ा वर्ग	135,544	31,495
अनुसूचित जाति	41,721	7,940
अनुसूचित जनजाति	12,317	1,907

(ग) और (घ): पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत 5% की रियायती निश्चित ब्याज दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों सहित सभी लाभार्थियों के लिए एक समान है।

******

अनुबंध

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5419, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिला (राजस्थान)	पूर्ण किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम	संस्वीकृत ऋण आवेदनों की संख्या
अजमेर	8,593	1,966
अलवर	9,912	2,773
बांसवाड़ा	4,245	846
बारन	7,348	1,323
बाड़मेर	7,650	932
भरतपुर	7,934	1,608
भीलवाड़ा	5,733	1,291
बीकानेर	8,642	2,132
बुंदी	8,470	1,926
चित्तौड़गढ़	3,310	879
चुरू	11,637	2,520
दौसा	10,807	1,779
धौलपुर	3,187	552
डुंगरपुर	3,533	579
गंगानगर	4,291	953
हनुमानगढ़	7,753	1,639
जयपुर	13,079	3,231
जैसलमेर	4,641	1,623
जालौर	4,457	881
झालावाड़	5,875	1,276
झुनझुनु	5,135	1,310
जोधपुर	7,210	1,579
करौली	7,020	1,177
कोटा	4,679	962
नागौर	7,193	1,678
पाली	4,095	831
प्रतापगढ़	1,953	475
राजसमंद	3,336	887
सवाई माधोपुर	2,441	392
सीकर	5,258	962
सिरोही	2,193	482
टोंक	7,717	1,590
उदयपुर	4,168	985
सकल योग	**203,495**	**44,019**